



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042026-271953
CG-DL-E-21042026-271953

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1896]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1896]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 1967(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 88) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के साताराजिले के तालुका माण राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 160 पॅकेज-2 दहिबडी से कि.मी. 380+250 से कि.मी. 392+200 मायणी तक जोड़नेवाला सेक्शन (चौडीकरण/2 लेन/4 लेन पेव्ह शोल्डर का बनाने) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. 21 साताराजिल्हा साताराको लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के मंजूरी प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. १६० पैकेज-२ जो दहिवडी गाव से प्रारंभ होकर मायणी गाव को जोड़ने वाला सेक्शन कि.मी. ३४०.२५० से ३७२.२०० कि.मी. कुल लंबाई ३१.९५० कि.मी. तक अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सातारा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: माण					
गांव का नाम: दहिवडी					
1	555/6	निजी	कृषी	0.0036 (हेक्टेयर)	0.0036
2	555/7A	निजी	कृषी	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
3	555/7B	निजी	कृषी	0.0048 (हेक्टेयर)	0.0048
4	555/7C	निजी	कृषी	0.00156 (हेक्टेयर)	0.00156
5	558	निजी	कृषी	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
गांव का नाम: पिंगळी बुहुक					
6	1199	निजी	कृषी	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
7	1200	निजी	कृषी	0.0129 (हेक्टेयर)	0.0129
8	1201	निजी	कृषी	0.0163 (हेक्टेयर)	0.0163
9	1202	निजी	कृषी	0.0536 (हेक्टेयर)	0.0536
10	1203	निजी	कृषी	0.0402 (हेक्टेयर)	0.0402
11	1204	निजी	कृषी	0.0308 (हेक्टेयर)	0.0308
12	1216	निजी	कृषी	0.0323 (हेक्टेयर)	0.0323
13	1217	निजी	कृषी	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
14	1218	निजी	कृषी	0.0352 (हेक्टेयर)	0.0352
15	1219	निजी	कृषी	0.0104 (हेक्टेयर)	0.0104
16	1249	निजी	कृषी	0.0554 (हेक्टेयर)	0.0554
17	1252	निजी	कृषी	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004

18	1260	निजी	कृषी	0.0498 (हेक्टेयर)	0.0498
19	1285	निजी	कृषी	0.1065 (हेक्टेयर)	0.1065
20	1379	निजी	कृषी	0.0133 (हेक्टेयर)	0.0133
21	1380	निजी	कृषी	0.0502 (हेक्टेयर)	0.0502
22	1381	निजी	कृषी	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046
23	1382	निजी	कृषी	0.0007 (हेक्टेयर)	0.0007
24	1614	निजी	कृषी	0.0134 (हेक्टेयर)	0.0134
25	1616	निजी	कृषी	0.0286 (हेक्टेयर)	0.0286
26	1618	निजी	कृषी	0.005567 (हेक्टेयर)	0.005567
गांव का नाम: पिंगळी खुर्द					
27	327	निजी	कृषी	0.0092 (हेक्टेयर)	0.0092
28	330	निजी	कृषी	0.0316 (हेक्टेयर)	0.0316
Total					0.624827

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/61/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2026

S.O. 1967(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Building Rehabilitation, Upgradation, Widening of existing Highway No. 160, 2/4 –laning with Paved shoulder, in the stretch of land , from NH-160 Package -2 Dahiwadi Village Km 340+250 To Mayani Village Km 372+200 in the Tahsil Man, District Satara in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Dy. Collector land Acquisition No. 21.Satara.District.Satara in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from NH-160 Package-2 Dahiwadi Km.340+250 To Km 372+200 Mayani District Satara in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: Satara		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Man					
Village: Dahiwadi					
1	555/6	Private	Agriculture	0.0036 (Hectare)	0.0036
2	555/7A	Private	Agriculture	0.0043 (Hectare)	0.0043
3	555/7B	Private	Agriculture	0.0048 (Hectare)	0.0048
4	555/7C	Private	Agriculture	0.00156 (Hectare)	0.00156
5	558	Private	Agriculture	0.0004 (Hectare)	0.0004
Village: PINGLI (Bk.)					
6	1199	Private	Agriculture	0.0061 (Hectare)	0.0061
7	1200	Private	Agriculture	0.0129 (Hectare)	0.0129
8	1201	Private	Agriculture	0.0163 (Hectare)	0.0163
9	1202	Private	Agriculture	0.0536 (Hectare)	0.0536
10	1203	Private	Agriculture	0.0402 (Hectare)	0.0402
11	1204	Private	Agriculture	0.0308 (Hectare)	0.0308
12	1216	Private	Agriculture	0.0323 (Hectare)	0.0323
13	1217	Private	Agriculture	0.0031 (Hectare)	0.0031
14	1218	Private	Agriculture	0.0352 (Hectare)	0.0352
15	1219	Private	Agriculture	0.0104 (Hectare)	0.0104
16	1249	Private	Agriculture	0.0554 (Hectare)	0.0554
17	1252	Private	Agriculture	0.0004 (Hectare)	0.0004
18	1260	Private	Agriculture	0.0498 (Hectare)	0.0498
19	1285	Private	Agriculture	0.1065 (Hectare)	0.1065
20	1379	Private	Agriculture	0.0133 (Hectare)	0.0133
21	1380	Private	Agriculture	0.0502 (Hectare)	0.0502
22	1381	Private	Agriculture	0.0046 (Hectare)	0.0046
23	1382	Private	Agriculture	0.0007 (Hectare)	0.0007
24	1614	Private	Agriculture	0.0134 (Hectare)	0.0134
25	1616	Private	Agriculture	0.0286 (Hectare)	0.0286
26	1618	Private	Agriculture	0.005567 (Hectare)	0.005567
Village: Pingali Kh.					
27	327	Private	Agriculture	0.0092 (Hectare)	0.0092
28	330	Private	Agriculture	0.0316 (Hectare)	0.0316
Total					0.624827

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/61/3A]
SHAIKH AMINKHAN, Director